

2016/00383


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा आज्ञा-पत्र

उनवान

..... कस्तूरी बाई बनाम हरकु बाई

किस्म मुकदमा च्या. 223 मि.नं. 292/2016 सन

अभिभाषक अपीलान्त श्री सुरेश मारुवाडी अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट श्री पुनित म. (121)
..... श्री काशीश 1211

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
15.4.24	<p>पत्रावली पेशदुरी अन्तिमाष्ट अपीलान्त व अपीलान्त को रूक-रूक कर तीन बार आपजे लगावकी गयी, फिर भी उनही ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अन्तिम अपीलान्त द्वारा रेस्पोंड 5-7 की तामील जरिये रजिस्टर्ड शब्दीय आदितांठ लड़ नहीं करावकी गयी हैं। अतः अपीलान्त एवं उनके अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फ़ैसल शुक्रवार होकर बाद तामील तामील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>(ममता कुमारी तिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा</p>	



श्री सुन्दर प्रसाद शर्मा देवदर
पेवाडी/कादगोचर रिपोर्टिंग
पेवाडी

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवम पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा

अपील डिक्री संख्या

सन 2016 / जिला बारां

(भागवन्ती जेठवानी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
8-8-16 कोटा (राज०)

श्रीमति कस्तूरी बाई पुत्री श्री राधा धर्म पत्नि स्व० श्री धन्नालाल जी जाति मीणा
निवासी ग्राम गोदिया चारण तहसील छबड़ा जिला बारां अपीलान्त

बनाम

- 1- श्रीमति हरकी बाई पत्नि श्री रामसिंह जी जाति मीणा निवासी ग्राम
कददावन तहसील छबड़ा जिला बारां
- 2- श्रीमति रामकन्या पत्नि श्री गजानन्द जी जाति मीणा निवासी ग्राम
कोलूखेडा तहसील छीपाबडोद जिला बारां
- 3- श्रीमति कान्ती बाई पत्नि श्री नन्दकिशोर जी जाति मीणा निवासी ग्राम देहरी
तहसील छबड़ा जिला बारां
- 4- धीरपसिंह पुत्र श्रीमति भंवरी बाई जाति मीणा निवासी ग्राम गोपाल पाड़ा
तहसील छबड़ा जिला बारां
- 5- श्रीमति बतूल पुत्री श्री राधा जी धर्म पत्नि श्री सीताराम जाति मीणा निवासी
ग्राम गोदिया चारण तहसील छबड़ा जिला बारां
- 6- रामकरण पुत्र श्री जानक्या जी जाति मीणा निवासी गोदिया चारण
तहसील छबड़ा जिला बारां
- 7- दी स्टेट आफ राजस्थान

रेस्पोंड

अपील बनाराजी निर्णय एवम डिक्री न्यायालय

उप जिला कलक्टर छबड़ा दिनांक 30-3-2016

अन्तर्गत धारा 223 दी राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955

B21